

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम-1996 के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के पत्रांक-प.12(1)शिक्षा-2/अनु.नियु.प्रयो.सहा./2016 दिनांक 27.03.2017 एवं 03.10.2017 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III के कुल 09 अभ्यर्थियों का अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम-1996 के तहत नियुक्ति का अनुमोदन कर उनके नाम के सम्मुख अंकित जिला आवंटित किया जाता है।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे:-

- 1 मृतक आश्रितों को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा समय-समय जारी अधिसूचनाओं के आधार पर आवेदक की पात्रता का सघन परीक्षण करे एवं आवेदकों की जन्मतिथि, शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जांच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जांच करेंगे।
- 2 मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य केन्द्र/राज्य सरकार या कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो कि पूर्णतः या भागतः केन्द्र/किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो, के अधीन (सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय या आश्रित के नियुक्ति के समय पर) नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित नहीं हो एवं न ही पूर्व में किसी आश्रित को नियुक्ति प्रदान की गई है। इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम-5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें (मृतक की पत्नी स्वयं के लिए नियोजन प्राप्त करने पर यह नियम लागू नहीं होगा।)
- 3 मृतक की अविवाहित पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो, उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें। कार्मिक विभाग की अधिसूचना 28.10.2021 के क्रम में प्राप्त प्रकरणों में आवेदकों की पात्रता का परीक्षण कर संतुष्ट होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश जारी करे।
- 4 आवेदक पति/पत्नी होने पर कार्यग्रहण तिथि तक पुनः विवाह नहीं किया है, का शपथ पत्र(प्रारूप संलग्न) का शपथ-पत्र प्राप्त करें।
- 5 आवेदनकर्ता यदि विवाहित है तो आवेदक एवं पति/पत्नी (दोनों से) से बिन्दू संख्या-2 के अनुसार नियोजित नहीं होने का शपथ पत्र प्राप्त करें।
- 6 कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- 7 दत्तक पुत्र-पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार करेंगे।
- 8 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7/1, कार्मिक (क-2) (95) दिनांक 08.04.2003 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.2005 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे (प्रारूप संलग्न)।
- 9 संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल-08 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय रुपये 18500/- प्रतिमाह पर नियुक्ति प्रदान की जावेगी।
- 10 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में फिक्स रेमुनेरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
- 11 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
- 12 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का ही आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-एफ-12(9)एफ.डी./वित्त/2017 जयपुर दिनांक 30.10.17 के अनुसार देय होगा।
- 13 वित्त विभाग के आदेश क्रमांक-प.2(2)वित्त(नियम)2021 पार्ट जयपुर दिनांक 25.05.2022 एवं 26.05.2022 तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुसार सामान्य प्रावधानी निधि की नियमानुसार मासिक कटौती की जावेगी।

14. प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-2021 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिए।
15. संलग्न सूची में कतिपय अभ्यर्थियों के नाम/पिता का नाम/उपनाम/जन्मतिथि में सहवन से कोई त्रुटि रह गई है तो उन प्रकरणों में अभ्यर्थी के आवेदन पत्र एवं संलग्न प्रमाण पत्रों से मिलान कर अपने स्तर पर उसे दुरुस्त करें। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं मृतक कर्मचारी के राजकीय दस्तावेज में नाम/उपनाम में परिवर्तन होने पर आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त कर नियुक्ति आदेश जारी करें।
16. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के चरित्र सत्यापन संबंधित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात् ही आदेश जारी करेंगे।
17. आवेदक द्वारा दहेज न लिए जाने का स्व घोषणा पत्र।
18. आवेदक द्वारा धूम्रपान/मद्यपान नहीं करने एवं गुटखा नहीं खाने का स्व-घोषणा पत्र अन्य घोषणाओं के साथ।
19. आवेदक द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र।
20. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ-5(51)डीओपी/ए-III/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.2015 के अनुसार नियम-5 में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।
21. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक प.5(51) कार्मिक/क-2/88 पार्ट, जयपुर दिनांक 31.05.16 के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम-5 में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-2(ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।
22. आवेदक की सेवा-पुस्तिका में लाल रखाही से यह अंकित किया जावे कि श्री/सुश्री/श्रीमती..... को इनके माता/पिता/पति की मृत्यु पर मृत राज्य कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नियम-1996 के अनुसार नियुक्ति प्रदान की गई है।

संलग्न:- अनुमोदित अभ्यर्थियों की सूची (09 अभ्यर्थी)

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/अनु.नियु./ए-4/61233/प्रशास ग्रेड-III/नियु. अनुमोदन/2022-23/31-37 दिनांक : 26.04.2023
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान-सरकार, जयपुर।
2. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा.....को संलग्न सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों का प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III के पद पर सीधी भर्ती वर्ष 2021-22 हेतु प्रेषित अर्थना में जिलेवार विज्ञापित पदों को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित करावे एवं पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन पत्र पुनः इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से भिजवायें।
4. श्री को देकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक कार्यालय में देकर पावती प्राप्त करें।
5. सहायक निदेशक, मोनिटरिंग अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मु. मा. पदस्थापन की आदेश की प्रति आवश्यक रूप से इस कार्यालय को भिजवायें।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा-मा./अनु.नियु./ए-4/61233/प्रशास ग्रेड-III/नियु.अनुमोदन/2022-23/38

दिनांक:- 26.04.23

मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III के पद पर नियुक्ति हेतु अनुमोदित 09 अभ्यर्थियों की जिला आवंटन सूची

क्र. सं.	आवेदक का नाम, शैक्षणिक योग्यता (BSER/ CBSE/ NIOS ETC) एवं जन्मतिथि	मृतक से संबंध	मृ. रा. क. का नाम, पद एवं पदस्थापन स्थान	मृत्यु तिथि	आवेदन तिथि	आवंटित जिला
1	2	3	4	5	6	
1	करिश्मा मिश्रा 12वीं विज्ञान 19.09.1995	अविवाहित दत्तक पुत्री	स्व. श्रीमती प्रभा मिश्रा अध्यापिका ग्रेड III राप्रावि, कटसरूरा (अराई) अजमेर	22.12.07	25.07.19	अजमेर
2	भविष्य सिंह मीना 12वीं विज्ञान 24.02.2003	पुत्र	स्व. श्री लेखराज मीना वरिष्ठ अध्यापक रामावि, बलवना (सुमेरपुर), पाली	05.10.18	02.10.21	करौली
3	ललित कुमार सुलानिया 12वीं विज्ञान 14.04.2004	पुत्र	स्व. श्री पूरनसिंह मीना अ0 राउमावि, पीपलखेड़ा (पहाड़ी), भरतपुर	24.09.19	04.04.22	अलवर
4	गजेन्द्र सिंह चौहान 12वीं विज्ञान 01.11.1995	पुत्र	स्व. श्री बाबूसिंह चौहान अध्यापक राउमावि, चारभुजा कुम्हालगढ़, राजसमन्द	21.04.22	16.05.22	राजसमन्द
5	श्री सचिन 12वीं विज्ञान 19.02.2002	अविवाहित पुत्र	स्व. श्री सुभाष चन्द रावत प्रबोधक राउप्रावि, बीजाहेड़ा, कोटपुतला, जयपुर	13.06.22	22.07.22	अलवर
6	श्री मोहित वर्मा 12वीं विज्ञान 26.01.1998	अविवाहित पुत्र	स्व. श्री महेश कुमार वर्मा सहायक प्रशानिक अधिकारी राउमावि अलीगढ़, टोंक	20.05.22	06.08.22	अजमेर
7	श्रीमती छमा कुलश्रेष्ठ 12वीं विज्ञान 20.05.1998	विवाहित पुत्री	स्व. योगेन्द्र कुलश्रेष्ठ अध्यापक ग्रेड-III राउप्रावि मंदावा, पनोरिया, फागलिया, बाड़मेर	06.10.22	17.12.22	अलवर
8	श्री अखिलेश सिंह 12वीं विज्ञान 10.12.1994	विवाहित पुत्र	स्व. श्री हाशियार सिंह वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक शहीद कर्नल जे.पी.जानू राउमावि, झुंझुनूं	19.11.22	02.01.23	झुंझुनूं
9	श्री सौरभ शर्मा 12वीं विज्ञान 03.01.2000	अविवाहित पुत्र	स्व. श्री महेश कुमार शर्मा तृतीय श्रेणी अध्यापक राउप्रावि, जालू (नेछवा), सीकर	31.01.23	28.02.23	सीकर

नोट :- क्रम संख्या 01, 02 और 03 के प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वांछित शिथिलन प्राप्त है।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर